भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष :- न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल केम्प भोपाल जिला भोपाल

अपील क्रमांक अपील 815-II-15

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल
द्वारा कार्यपालन अधिकारी
कार्यालय -ताज काम्पलेक्स,
वक्फ परिसर, भोपाल ---------- अपीलार्थी

विरूद्ध

1. सीताराम आयु वयस्क
आत्मज श्री देवीलाल कौक
निवासी- विदिशा जिला विदिशा
2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिलाध्यक्ष,
विदिशा
कार्यालय जिलाध्यक्ष कार्यालय विदिशा ---- प्रत्यार्थीगण

(162 नि)
श्री सरवर रफिकखान द्वारा अधिवक्ता द्वारा आज दिनांक 26/3/15 को प्रस्तुत।
26/3/15
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल
R. 9.4-15 को
कार्या. कमिश्नर भोपाल
ध्यान प्रस्तुत
9-4-15

अपील अन्तर्गत धारा 44(1) मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थी माननीय अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 136/निगरानी/10-11 मे पारित आदेश दिनांक 6.12.2014 से असतुष्ट होकर तथा अपनी असहमति प्रकट करते हुए निम्नलिखित तथ्यों एव आधारों पर वर्तमान अपील प्रस्तुत करता है :-

प्रकरण के तथ्य :-

यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैकि अपीलार्थीद्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष निगरानी ,अपर कलेक्टर विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 162/2010-11/निगरानी मे पारित आदेश दिनांक 25.7.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई।

माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी मे यह कथन किया गया कि प्रत्यार्थी क्रमांक 1 के द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 16.1.64 एव दिनांक 30.6.64 के आधार पर कस्बा विदिशा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1524, 1523व 1503 पर नामांतरण किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

CHIEF EXCUTIVE OFFICER
M.P. WAQF BOARD

(53)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक— निगरानी 815—दो/15 जिला — विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10—12—15	प्रकरण आज प्रस्तुत । इस प्रकरण में दिनांक 9—12—15 नियत थी । दिनांक 9—12—15 को नियत प्रकरण दिनांक 10—12—15 को लिए जाने की सूचना, सूचना पटल पर चस्पा की गई है । 2/ आवेदक को भेजा गया सूचनापत्र तामील उपरांत वापिस प्राप्त परंतु ना तो आवेदक और ना ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हैं । उन्हें समय समय पर तीन बार आवाज लगवाई गई परंतु फिर भी वे उपस्थित नहीं हैं । अतः प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है । सदस्य	